

1.	विभाग	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
2.	योजना का नाम –	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	<p>यह योजना व्यक्तिगत बुनकर/पंजीकृत हथकरघा सहकारी समितियों के उन सदस्यों के लिए चलायी गयी है, जो वर्ष में 180 दिन हथकरघा पर कार्य करते हों तथा उसकी हथकरघा से आय का 50 प्रतिशत हिस्सा रहा हो तथा इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रू० 470.00 का वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा रू० 290.00 लाभान्वित किये जाने वाले बुनकर का अंश रू० 80.00 तथा एल०आई०सी० द्वारा रू० 100.00 जमा किये जायेंगे। हित लाभ निम्नप्रकार है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 18 से 50 वर्ष की आयु के बुनकर हेतु <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी भी कारण से मृत्यु होने पर रू० 2,00,000.00 2. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रू० 2,00,000.00 3. पूर्ण स्थायी अपंगता पर रू० 2,00,000.00 4. आंशिक अपंगता पर रू० 1,00,000.00 2. 51 से 59 वर्ष की आयु के बुनकर हेतु <ol style="list-style-type: none"> 1. साधारण मृत्यु की दशा में रू० 60,000.00 2. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रू० 1,50,000.00 3. पूर्ण स्थायी अपंगता पर रू० 1,50,000.00 4. आंशिक अपंगता पर रू० 75,000.00
4.	पात्रता की अर्हता–	ऐसे व्यक्तिगत बुनकर अथवा पंजीकृत हथकरघा सहकारी समिति के सदस्य जो वर्ष में 180 दिन हथकरघा पर कार्य करते हो तथा उसकी हथकरघा से आय का 50 प्रतिशत हिस्सा हो।
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	वांछित अभिलेखों सहित कार्यालय में आवेदन
6.	लिंक वेबसाइट	http://www.etanabanaup.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक आयुक्त उद्योग से सम्पर्क किया जा सकता है।